(224)

ग्वालियर कैम्प

श्रीमान राजस्व मण्डल रीवा (म0प्र0)

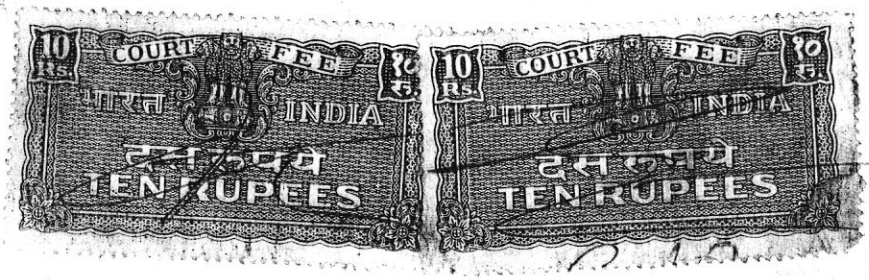

COURT FEE 10 Rs. भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

COURT FEE 10 Rs. भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

R. 2876-II/12

देवदत्त द्विवेदी तनय श्री रामसजीवन द्विवेदी ग्राम खैरी तहसील हुजूर जिला रीवा (म0प्र0)

....................आवेदक

बनाम

1 श्रीमती इन्द्रकली पत्नी स्व0 जनार्दन प्रसाद, 2. सुरेश कुमार 3. देवेन्द्र कुमार, 4. शीदेन्द्र कुमार तीनो के पिता स्व0 जनार्दन प्रसाद 5. शेषमणि प्रसाद द्विवेदी 6. रामनरेश द्विवेदी, 7. रमेश कुमार द्विवेदी, 8. नरेन्द्र प्रसाद द्विवेदी, पिसरान स्व0 चन्द्रभान प्रसाद द्विवेदी, सभी निवासी ग्राम पड़रा तह0 हुजूर जिला रीवा (म0प्र0)

..............अनावेदकगण

निगरानी विरूद्ध ओदश न्यायालय श्रीमान् अपर कलेक्टर महोदय जिला रीवा (म0प्र0) बावत् प्रकरण क्रं.234/ अ. छ. निगरानी/ 2011—12 आदेश दिनांक 14.08.2012 अर्न्तगत धारा 50 म0प्र0 भू0 राजस्व संहिता 2012 ईसवी

आज दिनांक 22/8/12 को आवेदक श्री देवदत्त द्विवेदी द्वारा कैम्प ग्वालियर पर प्रस्तुत। 22/8/12 D.R.

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्न है।

1. यह कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि एवं प्रक्रिया के विरूद्ध है।
2. यह कि अधीनस्थ न्यायालय में जो नामांतरण के आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया उन विवादित भूमियो के संबध में अपील माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में लंबित है जिसकी जानकारी अनावेदकगणों को अच्छी तरह से है फिर भी कानून कायदे को बलाये ताक रखकर नामांतरण के आवेदन पत्र तहसील न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जिसपर जवाब के लिये 16.03.2011 को आदेश पत्रिका में जवाब का अवसर समाप्त किया जाएगा ऐसा आदेश जब किया गया तो उसके विरूद्ध निगरानी की गयी। वह भी अपर जिलाध्यक्ष

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

मामला क्र0–R.2876–II/12 जिला–रीवा

देवदत्त द्विवेदी/इन्द्रकली वगैरः

(1)	(2)	(3)
22.08.17	1. प्रकरण प्रस्तुत। 2. आवेदक के वारिसान तथा उनके अधिवक्ता की पुकार करायी गयी किन्तु सूचना उपरांत लगाता कई पेशियों से उपस्थित नहीं है। 3. चूकि आवेदक तथा अभिभाषक सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। अतः संहिता की धारा–35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। 4. आदेश की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड वापस किया जाये, तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो। सदस्य	